:: आदेश ::

बैंक में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो बैंक आदेशांक 24607/स्थापना/2010–11, दिनांक 26.05.11 द्वारा लागू छठे वेतनमान की पुनरीक्षित वेतन संरचना में कार्यरत है, शासनादेश सं0 12/2023–वे0आ0–1–1146/दस–2023–8(एम)/2016, दिनांक 29.11.2023 के क्रम में **दिनांक 01.07.2023 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 221 प्रतिशत की विद्यमान दर से बढ़ाकर मूल वेतन के 230 प्रतिशत की दर से देय होगा।**

1. उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आगणन हेतु ''मूल वेतन'' का तात्पर्य दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में ''वेतन'' तथा अनुमन्य ''ग्रेड वेतन'' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य वेतन भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
2. इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनकी सेवावधि तक देय होगा, जो प्रभावी तिथि को कार्यरत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों यथा–अनुशासनिक कारणों से, त्यागपत्र, सेवानिवृत्त, मृत्यु या सेवाविमुक्ति के फलस्वरूप समाप्त हो गई हैं।
3. मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार उल्लिखित भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

ह0/–
(शशि रंजन कुमार राव)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्याः– सी–32 /स्थापना/मं0भत्ता/2023–24, दिनांक : 29-11-2023

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,उ0प्र0।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0सह0 ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सह0 ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।

SKaran 29.11.23

(डॉ0 श्रद्धा करन)
महाप्रबन्धक (प्रशासन)

:: आदेश ::

बैंक में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो बैंक आदेशांक 24607/स्थापना/2010–11, दिनांक 26.05.11 द्वारा लागू छठे वेतनमान की पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नही किया गया है अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू नहीं है, अर्थात जो कार्मिक पंचम वेतनमान में अभी भी कार्यरत है, को **शासनादेश संख्या 11/2023–वे0आ0–1–1145/दस–2023–8(एम)/2016, दिनांक 29.11.2023 के कम में दिनांक 01.07.2023 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 412 प्रतिशत की विद्यमान दर से बढ़ाकर मूल वेतन के 427 प्रतिशत की दर से देय होगा।**

उपर्युक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आंकलन हेतु वेतन का तात्पर्य दिनांक 01.01.96 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में कर्मचारियों को अनुमन्य मूल वेतन जैसा कि मूल नियम–9(21)(1) में परिभाषित है, से होगा।

1. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01.01.96 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है अर्थात दिनांक 01.01.96 के पूर्व के वेतनमानों के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा बैंक के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01.01.96 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने का विकल्प दिया है, को दिनाक **01.07.2023** से संशोधित दरो पर महंगाई भत्ते की कोई स्वीकृति उपर्युक्त **शासनादेश संख्या 11/2023–वे0आ0–1–1145/दस–2023–8(एम)/2016, दिनांक 29.11.2023** में नहीं प्रदान की गयी है।
2. इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनकी सेवावधि तक देय होगा, जो प्रभावी तिथि को कार्यरत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों यथा–अनुशासनिक कारणों से, त्यागपत्र, सेवानिवृत्त, मृत्यु या सेवाविमुक्ति के फलस्वरूप समाप्त हो गई हैं।
3. मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार उल्लिखित भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

ह0/–
(शशि रंजन कुमार राव)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

आदेशांकः– सी - 33 /स्थापना/मं0भत्ता/2023–24, दिनांक : 29-11-2023

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,उ0प्र0।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0सह0 ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सह0 ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।

29.11.23

(डॉ0 श्रद्धा करन)
महाप्रबन्धक (प्रशासन)

:: आदेश ::

शासनादेश सं0 07/2023–वे0आ0–1–1005/दस–2023–8(एम)/2016, दिनांक 06.11.2023 द्वारा ऐसे पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों को जिनके सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित हुये हैं, को दिनांक 01 जुलाई, 2023 से बढ़ी हुई दरों पर मंहगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः बैंक में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों को, जो सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.16 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में कार्यरत हैं, को **शासनादेश सं0 07/2023–वे0आ0–1–1005/दस–2023–8(एम)/2016, दिनांक 06.11.2023 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 46 प्रतिशत की दर से देय होगा।**

1. इस आदेश द्वारा दिनांक 01.11.2023 से देंय धनराशि का भुगतान नवम्बर माह के नियमित वेतन के साथ नकद किया जायेगा।
2. उक्त मंहगाई भत्ते की दिनांक 01.07.2023 से 31.10.2023 तक देय अवशेष धनराशि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती करते हुये वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 02/2023/जी–2–256(1)/दस–2023, दिनांक 21.03.2023 में निर्धारित सीमा के अधीन जमा की जायेगी। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा अवशेष धनराशि दिनांक 01.12.2024 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा, यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है, तो उक्त अवशेष धनराशि उसके पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) में जमा करायी जायेगी अथवा नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (NSC) के रूप में प्रदान की जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टीफिकेट उपलब्ध न हो, तो उसे नकद दी जायेगी।
3. राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से अच्छादित अधिकारियों/कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की दिनांक 01.07.2023 से 31.10.2023 तक की अवशेष की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर–1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा उक्त अवशेष धनराशि के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान टियर–1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। उक्त अवशेष की 90 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (PPF) में जमा करायी जायेगी अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में प्रदान की जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टीफिकेट उपलब्ध न हो, तो उसे नकद दी जायेगी।
4. जिस अधिकारी/कर्मचारी की सेवायें इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो कर्मचारी/अधिकारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01.07.2023 से आदेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हो, अथवा छः माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हो, उनको देय मंहगाई भत्ते की बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार उल्लिखित भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा किसी बिन्दु में विसंगति पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराते हुये शासनादेश सं0 07/2023–वे0आ0–1–1005/दस–2023–8(एम)/2016, दिनांक 06.11.2023 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जाय।

(शशि रंजन कुमार राव)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या सी– 14800 /स्थापना/मं0भत्ता/2023–24, दिनांक : 24.11.23

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,उ0प्र0।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0सह0 ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सह0 ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।

(डॉ0 श्रद्धा करन)
महाप्रबन्धक (प्रशासन)

o/c